



# डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

**PRYJ (W)/EN/RTI/49-(Vol-IV)/**

**Date: 07/12/2022**

श्री कृपा शंकर टण्डन (अधिवक्ता)

बार एसोसिएशन पार्क,

चैम्बर नं0 03

सिविल कोर्ट, कानपुर नगर

**विषय:** जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना (RTI-1388) के संबंध में।

**सन्दर्भ:** (1) JGM/Admn. (CPIO) letter no. 2022/HQ/ADMIN/RTI-1388 New Delhi 09.11.2022.

(2) RTI registration no. DFCCIL/R/E/22/01191 dated 07.11.2022.

(3) आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 07.11.2022।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र (3) के द्वारा वांछित सूचना चाही गयी थी जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित की गयी थी। उपलब्ध करायी गयी सूचना का उल्लेख बिन्दुवार निम्नलिखित है:-

1. प्रश्न 1 के क्रम में अवगत कराना है आपके द्वारा प्रेषित बिल में दस्तावेज अपूर्ण होने के संबंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.05.2022 (संलग्न) द्वारा आपको संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया था परन्तु अभी तक दस्तावेज उपलब्ध ना कराये जाने के कारण बिल अभी तक लम्बित है जिसके कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती।
2. प्रश्न 2 व 3 के क्रम में अवगत कराना है कि जो बिल आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये थे उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.12.2022 को भुगतान हेतु वित्त विभाग/प्रयागराज (पश्चिम) कार्यालय में प्रेषित है जिसका भुगतान जल्द ही हो जायेगा।
3. प्रश्न 4 के क्रम में अवगत कराना है कि बिल में भुगतान की देरी एक कार्यालयी प्रक्रिया है जिसे पूर्ण होने के उपरांत ही किया जा सकता है।

(अजीत कुमार सिंह)

उप परि0 प्र0/ए.पी.आई.ओ.

डी.एफ.सी.सी.आई.एल.

प्रयागराज (पश्चिम)

**प्रतिलिपि:**

1. महाप्रबंधक (समन्वय)/प्रयागराज पश्चिम को सादर सूचनार्थ।
2. जे.जी.एम./एडमिन (सी.पी.आई.ओ.) डी.एफ.सी.सी.आई.एल.ओ. को इस आशय प्रेषित है कि आप अपने स्तर से निस्तारित करने का कष्ट करें।
3. उप मुख्य परि0 प्र0/अभि0/प्रयागराज पश्चिम को सादर सूचनार्थ।